



प्रिय शेयरधारक,

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंक के निदेशक मंडल ने 09 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 10.00 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4.05 रुपये (40.50%) का लाभांश देने की संस्तुति की है। उक्त लाभांश का भुगतान आगामी 28वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद पात्र सदस्यों को किया जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या संवितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को उक्त अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी, यदि उपर्युक्त एजीएम में घोषित किया जाता है।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/ रोके गए कर:

टीडीएस/कर कटौती की दर शेयरधारक की आवासीय प्रस्थिति एवं बैंक/बैंक के आरटीए/निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी।

(I) निवासी शेयरधारक:

(ए) निवासी शेयरधारकों के लिए स्रोत पर कर कटौती

क्र. सं.	विवरण	रोके गए कर की दर/टीडीएस	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) / टिप्पणियाँ
1)	बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन अद्यतन किया गया	10%	किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि लाभांश ₹10,000/- से अधिक नहीं है, तो कोई टीडीएस/विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा जाएगा। कृपया नीचे नोट (v) भी देखें।
2)	कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कोई पैन/वैध पैन अद्यतन नहीं किया गया है	20%	यदि शेयरधारक का पैन बैंक/बैंक के आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/विथहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 20 जून, 2025 तक या उससे पहले अपने डीपी (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) और बैंक/बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) के साथ अपना पैन अद्यतन करें। कृपया रिकॉर्ड अद्यतन करते समय उन सभी फोलियो नंबरों का उल्लेख करें जिनके तहत आप अपने शेयर रखते हैं। कृपया नीचे नोट (v) भी देखें।

3)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाणपत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त न्यूनतम कर कटौती प्रमाणपत्र 20 जून 2025 तक या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
----	---	-----------------------------	---

(बी) यदि शेयरधारक 20 जून 2025 को या उससे पहले बैंक/बैंक के आरटीए/डीपी के पास नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित दस्तावेज जमा करते हैं तो निवासी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।

क्र.सं.	विवरण	रोके गए कर की दर/ टीडीएस	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) / टिप्पणियाँ
	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष से कम आयु के शेयरधारक 60 वर्ष से अधिक आयु के शेयरधारक 	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> फॉर्म संख्या 15जी में घोषणा (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर लागू) जिसमें कुछ शर्तें पूरी हों फॉर्म 15एच में घोषणा (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पर लागू), कुछ शर्तों को पूरा करना
	ऐसे शेयरधारक जिन पर आयकर, 1961 की धारा 194 के दूसरे परंतुक के अनुसार धारा 194 लागू नहीं होती है, जैसे एलआईसी, जीआईसी आदि।		आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत छूट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत आने वाले शेयरधारक जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
	श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश निधि		आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1एफ) के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त भविष्य निधि स्वीकृत अधिवर्षिता निधि स्वीकृत ग्रेच्युटी निधि 		केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
	राष्ट्रीय पेंशन योजना		आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए(1ई) के अनुसार कोई टीडीएस/कर कटौती नहीं
	आयकर अधिनियम के प्रावधानों या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट प्राप्त कोई भी निवासी शेयरधारक		टीडीएस कटौती से छूट को प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

(II) अनिवासी शेयरधारक:

नीचे दी गई तालिका अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर रोके गए कर को दर्शाती है, जो **20 जून 2025 को या उससे पहले** बैंक/बैंक के आरटीए को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज जमा करते हैं। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो टीडीएस/रोकथाम कर 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) की दर से काटा जाएगा।

क्र.सं.	विवरण	रोके गए कर की दर/टीडीएस	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) / टिप्पणियाँ
1)	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)/ अनिवासी शेयरधारक अन्य	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) या कर संधि दर, जो भी लाभदायक हो	एफआईआई/एफपीआई के मामले में एफपीआई पंजीकरण प्रमाणपत्र। कर संधि की लाभकारी दर का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित कर दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 1) लाभांश प्राप्त करने वाले वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी कर निवास प्रमाण पत्र 2) पैन कार्ड या आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीसी के अनुसार निर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा। 3) आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 16 जुलाई 2022 के अनुसार आयकर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल फॉर्म 10एफ। (नोट: लाभकारी कर संधि दर का अनुप्रयोग अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और बैंक की संतुष्टि के लिए समीक्षा पर निर्भर करेगा)
2)	किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	1) आयकर प्राधिकरण से धारा 195(3) के तहत कम कर कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। 2) स्व-घोषणा जिसमें पुष्टि की गई हो कि आय विदेशी बैंक की ओर से नहीं बल्कि उसके स्वयं के खाते से प्राप्त हुई है तथा उसे भारत में शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
3)	आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से कम कर कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करें
4)	कोई भी अनिवासी शेयरधारक आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार डबल्यूएचटी कटौती से छूट प्राप्त है।	शून्य	डबल्यूएचटी कटौती से छूट को प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेजों साक्ष्य

टिप्पणियाँ:

- (i) बैंक लाभांश के भुगतान के बाद बैंक के आरटीए के साथ पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से अपने शेयरधारकों को टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी जारी करेगा। शेयरधारक आयकर विभाग की वेबसाइट <https://incometaxindiaefiling.gov.in> से फॉर्म 26एस डाउनलोड कर सकेंगे।
- (ii) उपरोक्त दस्तावेज जैसे फॉर्म 15जी/15एच , धारा 196,197ए के तहत दस्तावेज, एफपीआई पंजीकरण प्रमाणपत्र, कर निवास प्रमाणपत्र, कम कर प्रमाणपत्र आदि बैंक के आरटीए को ईमेल के माध्यम से tds@bigshareonline.com पर भेजे जा सकते हैं। और बैंक को Headoffice.Share@bankofindia.co.in

- पर 20 जून, 2025 तक या उससे पहले कॉपी भेजे ताकि बैंक उचित टीडीएस/कर कटौती दर निर्धारित कर सके। 20 जून, 2025 के बाद प्राप्त कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच, फॉर्म नंबर 10एफ और स्व-घोषणा के प्रारूप इसके साथ संलग्न हैं।
- (iii) टीडीएस दर का अनुप्रयोग, रिकॉर्ड तिथि को शेयरधारकों के रजिस्टर में उपलब्ध बैंक द्वारा शेयरधारक विवरण तथा बैंक/बैंक के आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के अधीन है।
 - (iv) यदि टीडीएस अधिक दर से काटा जाता है, तो शेयरधारक के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने और उचित रिफंड का दावा करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।
 - (v) ऐसे निवासी व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जो अपना पैना विवरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका लाभांश ₹10,000/- से अधिक नहीं है। हालांकि, जहां बैंक/आरटीए/निपेक्षागार प्रतिभागी रिकॉर्ड में पैना अद्यतन नहीं है या अमान्य पैना के मामले में, कंपनी ₹10,000/- की छूट सीमा पर विचार किए बिना धारा 194 के तहत टीडीएस काट लेगी। सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 20 जून, 2025 को या उससे पहले अपने सभी फोलियो होल्डिंग्स पर अपने डीपी (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) और बैंक/बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) के साथ अपना पैना अद्यतन करें।
 - (vi) शेयरधारक द्वारा दी गई जानकारी के किसी गलत प्रस्तुतीकरण, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी अपीलिय कार्यवाही में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - (vii) **विभिन्न स्थिति/श्रेणी और एकल पैना के अंतर्गत कई खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारक ध्यान दें कि, पैना के अंतर्गत रखे गए शेयरों की स्थिति पर लागू कर में से जो अधिक होगा, उसे विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण होल्डिंग पर माना जाएगा।**
 - (viii) कृपया ध्यान दें कि शेयरधारकों को बैंक के TAN - MUMB33331E पर विथहोल्डिंग प्रमाणपत्र की मांग करनी चाहिए ताकि बैंक विथहोल्डिंग प्रमाणपत्र का लाभ दे सके। बैंक के किसी अन्य टैन में प्राप्त कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह पत्र-व्यवहार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में सभी संभावित कर परिणामों का पूर्ण विश्लेषण या सूचीकरण होने का दावा नहीं करता है। शेयरधारकों को उनके द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के लिए अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

यदि उपर्युक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर उच्च दर से काटा जाता है, तो भी आपके पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। **काटे गए ऐसे करों के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने खाते को आधार से जुड़े वैध पैना, आवासीय प्रस्थिति, पैना श्रेणी का अद्यतन सुनिश्चित करें, इसके अलावा अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ रखे गए डीमैट खाते पर बैंक विवरण और बैंक के साथ अपने फोलियो नंबर का अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

हम इस संबंध में आपके सहयोग का अनुरोध करते हैं।

आपका धन्यवाद,

भवदीय,

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

हस्ता/-
(राजेश वी. उपाध्या)
कंपनी सचिव